न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :–

प्रकरण सख्या: 37 / 23 सचिन यादव (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2023 / 343 दायर दिनांक: 03.11.2023

1.भुवनेश्वर 2.राधेश्याम पुत्रान रतनलाल जातियान बागरी ब्राह्मण नि. रणधीरगढ तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—प्रार्थीगण

बनाम

1.राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.

2.अनिल कुमार दत्त पुत्र रामोली 3.नरेन्द्र 4.पीयूष पुत्रान ओमप्रकाश 5.सीताराम पुत्र अमरचन्द 6.प्रभूदयाल पुत्र नत्थीलाल जातियान बागरी ब्राह्मण नि. रणधीरगढ तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 व 136

राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता– 1.श्री छोटेलाल मीना —प्रार्थीया

2.राजेन्द्र सैनी —अप्रार्थी सं. 02 से 06

3.पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 19.07.2024

प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 व 136 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 251 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम रणधीरगढ तह. भुसावर जिला भरतपुर में स्थित था, जिसका विभाजन होकर आ.ख.नं. 251 मिन रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, 251 / 1288मिन रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, 251 / 1286मिन रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, 251 / 1287मिन रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, 251 / 1285मिन रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा बनाये गये। जिनमें से आ.ख.नं. 251 / 1288मिन प्रार्थीगण के हिस्से में व ख.नं. 251 / 1286मिन अप्रार्थी संख्या 06 प्रभूदयाल के हिस्से व ख.नं. 251मिन अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 05 के हिस्से में विभाजित होकर कब्जे में आये। जिन पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 06 काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन नक्शा ट्रेस में कोई तरमीम नहीं हुई थी।

भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उपरोक्त खसरा नंबरान के नये नंबर इस प्रकार से बनाये गये कि ख.नं. 251मिन रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा का 345 रकबा 0.44, ख.नं. 251 / 1288मिन रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा का 346 रकबा 0.44, 251 / 1286मिन रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा का 347 रकबा 0.44, ख.नं. 251 / 1287मिन रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा का 348 रकबा 0.44, 251 / 1285मिन रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा का 349 रकबा 0.87 हैक्टे. बनाये गये और नक्शा ट्रेस में तरमीम की गई। जो भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके व कब्जे के अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम ना कर गलत तरीके से की गई है। जिसमें ख.नं. 345, 346, 347 की तरमीम मौके व कब्जे के विरूद्ध कर दी गई है। जबकि मौके पर वर्तमान नक्शा में ख.नं. 347 के स्थान पर ख.नं. 346 स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। जिसमें प्रार्थीगण की टीनशैड डली हुई है, ट्यूबवैल लगा हुआ है व सफेदा एवं अमरूदों का बाग मौके पर लगा हुआ है। इसी प्रकार ख.नं. 346 के स्थान पर ख.नं. 345 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 05 का कब्जा व काश्त चला आ रहा है व ख. नं. 345 के स्थान पर ख.नं. 347 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 06 प्रभूदयाल का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उपरोक्त खसरा नंबरान की राजस्व नक्शा ट्रेस में की गई अशुद्धि से

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 06 का कब्जा प्रमावित हो रहा है। जिसको दुरूस्त कराने के लिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 के कार्यालय में जाकर कई बार निवेदन किया गया। लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 ने नक्शा को दुरूस्त करने से साफ इंकार करते हुए टालमटोल करता चला आ रहा है और अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 06 भी नक्शा को दुरूस्त कराना नहीं चाहते है।

प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त आराजीयात के वर्तमान नक्शा ट्रेस में हो रही तरमीम को दुरूस्त किया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई। नोटिस की ताईद में अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 06 की ओर से वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र श्री राजेन्द्र सैनी एड. द्वारा पेश किया गया तथा तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपनी जाँच एवं मौका रिपोर्ट पेश की गई।

हमने बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड एवं तहसीलदार, भुसावर की रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम रणधीरगढ के आ.ख.नं. 345, 346, 347 की नक्शे ट्रेस में तरमीम मौके अनुसार इस प्रकार की जावे कि ख.नं. 347 के स्थान पर ख.नं. 346 व ख.नं. 346 के स्थान पर ख.नं. 345 एवं ख.नं. 345 के स्थान पर ख.नं. 347 अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)